गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

"सार्वजनिक सूचना"

एतद् द्वारा जन–साधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नई आवासीय योजना "हरनन्दीपुरम" के द्वितीय चरण के तलपट मानचित्र की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गयी 32.4647 हे० भूमि (एन०पी०आर० रोड हेतु पूर्व में अर्जित 3.1112 हे० भूमि के अतिरिक्त) में से 30.4221 हे० भूमि के अन्तर्गत ग्राम–नंगला फिरोजमोहनपुर के खसरा संख्या–370, 371, 372, 373, 375, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 399, 400, 401, 404, 410, 415 व ग्राम शमशेर के खसरा संख्या–787, 788, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 811, 825, 826, 829, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 850, 851, 852, 856, 861 एवं ग्राम शाहपुर निजमोरटा के खसरा संख्या–237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 253, 256, 257, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 (मात्र कृषि भू–उपयोग) की भूमि का भू–उपयोग गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी महायोजना–2031 के अनुसार "कृषि" से "आवासीय" में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव परिचालन पद्धति से प्राधिकरण के मा० बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, : @ Gda Ghaziabad : @ gdagzb

हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाईट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर ..... हमारा संकल्प